

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 43

प्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3284.43	3284.43	...	3771.91	3771.91	...	3654.54	3654.54	...	4342.89	4342.89	
पूँजी	...	424.07	424.07	...	587.98	587.98	...	523.00	523.00	...	750.00	750.00	
जोड़	...	3708.50	3708.50	...	4359.89	4359.89	...	4177.54	4177.54	...	5092.89	5092.89	
आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1. आय कर का संग्रहण	2020	...	2776.60	2776.60	...	3187.26	3187.26	...	3088.09	3088.09	...	3669.74	3669.74
2. निगम कर का संग्रहण	2020	...	426.87	426.87	...	490.35	490.35	...	475.09	475.09	...	564.58	564.58
जोड़-आय और व्यय पर करों का संग्रहण		...	3203.47	3203.47	...	3677.61	3677.61	...	3563.18	3563.18	...	4234.32	4234.32
धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण													
3. धन कर का संग्रहण	2031	...	8.21	8.21	...	9.43	9.43	...	9.14	9.14	...	10.86	10.86
4. प्रतिभूति लेनदेन कर	2031	...	16.42	16.42	...	18.86	18.86	...	18.27	18.27	...	21.71	21.71
5. अन्य करों का संग्रहण	2031	...	57.46	57.46	...	66.01	66.01	...	63.95	63.95	...	76.00	76.00
6. तैयार-निर्मित आवास की खरीद													
6.01 कार्यालय भवन	4059	...	421.00	421.00	...	546.98	546.98	...	500.00	500.00	...	700.00	700.00
6.02 आवासीय भवन	4216	...	2.46	2.46	...	41.00	41.00	...	23.00	23.00	...	50.00	50.00
जोड़- तैयार-निर्मित आवास की खरीद		...	423.46	423.46	...	587.98	587.98	...	523.00	523.00	...	750.00	750.00
7. आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण													
7.01 सकल व्यय	4075	...	1.05	1.05	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
7.02 घटाइए-विक्री प्राप्ति	4075	...	-0.44	-0.44	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
कुल		...	0.61	0.61
जोड़-धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण		...	506.16	506.16	...	682.28	682.28	...	614.36	614.36	...	858.57	858.57
8. वास्तविक वसूलियां	2020	...	-1.13	-1.13
कुल जोड़		...	3708.50	3708.50	...	4359.89	4359.89	...	4177.54	4177.54	...	5092.89	5092.89

1-5. यह मांग आयकर विभाग की आवश्यकताओं के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये व संग्रहित किये जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों, नामतः आय पर कर (निगमित क्षेत्र की आय सहित), धन कर, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर कर आदि के लिए

प्रबंध करता है। कर संग्रहण के प्रयोजन के लिए देश को विभिन्न प्रभागों में बांटा गया है। विभाग में व्यापक अपवंचन वाले मामलों की जांच, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन के लिए अलग-अलग निदेशालय भी हैं।

6. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संदर्भ में बने-बनाए कार्यालय भवनों तथा बने-बनाए आवासीय भवनों की खरीद से संबंधित है।

7. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित केन्द्र सरकार द्वारा अचल संपत्तियों की अग्रक्रम खरीद के लिए है। ऐसी खरीद हेतु आदेश उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उन संपत्तियों के संबंध में दिये जाते हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रतिफल निर्धारित सीमा से अधिक है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 का यह अध्याय 01.07.2002 से समाप्त कर दिया गया है। यह प्रावधान इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहित संपत्तियों के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा ऐसी ही संपत्तियों के सुरक्षा प्रभारों के लिए किया गया है।